

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./ 41.5.9...

बिलासपुर दिनांक 05/08/2020

प्रति,

वनमंडलाधिकारी

जांजगीर-चांपा वनमंडल

विषय :-

Diversion Of forest land for non-forest Purpose Under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for the Proposed Project pertains to Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in india under Bharatmala Pariyojana, Bilaspur-Urga section of NH-130A(Raipur-Dhanbad Economic Corridor) Which shall start at junction with NH 130 & NH 130A area, 47.552 ha. के संबंध में। पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/38338/2018

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक विभाग के प्राधिकृत अधिकारी, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.01- आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1.1 से 2.2 तक) - संलग्न है।

बिलासपुर-उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130ए निर्माण हेतु बिलासपुर जिले की 0.771 हे. राजस्व वन भूमि की मांग की गई है।

बिन्दु क्र.02- प्रपत्र में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)(प्रस्ताव पृष्ठ 3.3 से 10.10 तक) - **FP/CG/ROAD/34338/2018**

बिन्दु क्र.03- वन क्षेत्र का विवरण(प्रस्ताव पृष्ठ 11.11 से 12.12 तक) -

जिला बिलासपुर अंतर्गत राजस्व वनभूमि रकबा 0.771 हे० है।

बिन्दु क्र.04- गैर वन क्षेत्र का विवरण(प्रस्ताव पृष्ठ 13.13 से 42.42 तक)-

जिला बिलासपुर-151.446 हे.

बिन्दु क्र.05- प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 43.43 से 44.44 तक) - टोपोग्राफी क्र. F44K8

बिन्दु क्र.06- वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप(प्रस्ताव पृष्ठ 45.45 से 46.46 तक) - Bilaspur-urga sec. of 130 A तथा पटवारी शीट में भी प्रत्यावर्तित क्षेत्र 0.771 हे. को दर्शाया गया है।

बिन्दु क्र.07- प्रपत्र 4 में प्रस्ताव(प्रस्ताव पृष्ठ 47.47 से 53.53 तक) - निर्धारित प्रारूप 4 संलग्न है।

बिन्दु क्र.08- प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप(प्रस्ताव पृष्ठ 54.54 से 60.60 तक) - संलग्न है।

बिन्दु क्र.09-वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी)(प्रस्ताव पृष्ठ 61.61 से 62.62 तक) - वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क.10— न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 6.3. से 6.4. तक) — वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क.11— पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 6.5. से 8.0. तक) —संलग्न है।

बिन्दु क.12— वृक्ष विदोहन का विवरण(प्रस्ताव पृष्ठ 8.1. से 8.8. तक) —संलग्न है।

बिन्दु क.13— कोस्ट बनेफिट एनालिसिस(प्रस्ताव पृष्ठ 8.9. से 9.9. तक) —संलग्न है।

बिन्दु क.14— चयनित गैर वन/ निजी भूमि(प्रस्ताव पृष्ठ 10.0. से 10.1. तक) —संलग्न है।

बिन्दु क.15— गैर वनक्षेत्र के आस पास का नक्शा(प्रस्ताव पृष्ठ 10.2. से 10.7. तक) —संलग्न है।

बिन्दु क.16— स्थल विशेष वैकल्पिक योजना(प्रस्ताव पृष्ठ 10.8. से 10.9. तक) —वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क.17— वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्ता प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 11.0. से 13.5 तक) — संलग्न है।

बिन्दु क.18— अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण(प्रस्ताव पृष्ठ 13.6. से 13.7 तक) — वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क.19— अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण(प्रस्ताव पृष्ठ 13.8. से 13.8. तक) — वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क.20— अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरोध प्रस्तावित कार्यवाही(प्रस्ताव पृष्ठ 13.9. से 13.9 तक) —लागु नहीं।

बिन्दु क.21— वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 14.0. से 14.0. तक) — लागु नहीं।

बिन्दु क.22— कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान(प्रस्ताव पृष्ठ 14.1. से 14.1. तक) — संस्थान हाइवे-परियोजना से संबंधित है जिससे सड़क निर्माण के लिए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क.23— रेक्लेमेशन प्लान(प्रस्ताव पृष्ठ 14.2. से 14.2 तक) — संस्थान हाइवे-परियोजना से संबंधित है जिससे सड़क निर्माण के लिए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क.24— माइनिंग प्लान नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)(प्रस्ताव पृष्ठ 14.3. से 14.3. तक) — संस्थान हाइवे-परियोजना से संबंधित है जिससे सड़क निर्माण के लिए कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क.25— व्यवस्थापना प्लान(प्रस्ताव पृष्ठ 14.4. से 14.4 तक) — परियोजना से प्रभावित होने वाले राजस्व वनक्षेत्र में किसी प्रकार की व्यवस्थापन नहीं किया गया है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क.26— वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक)(प्रस्ताव पृष्ठ 14.5. से 14.8 तक) — वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं भाग-2 एवं प्रपत्र 3 में प्रस्ताव पर भौतिक निरीक्षण के आधार पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

बिन्दु क.27—ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 159 से 160 तक) — प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्त्व के स्थल पर मूर्ति या चिन्ह का समावेश नहीं है।

बिन्दु क.28— संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 161 से 163 तक) — ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क.29— जिले की कुल वनभूमि (रकबा 783.362 हे. में)(प्रस्ताव पृष्ठ 164 से 165 तक) — जिले की कुल वनभूमि का विवरण संलग्न है।

बिन्दु क.30— वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि (रकबा 1089.862 हे0मे) (प्रस्ताव पृष्ठ 166 से 167 तक) — वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा 1089.862 हे0 है।

बिन्दु क.31— वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इस श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि (रकबा 1089.862 हे0मे) (प्रस्ताव पृष्ठ 168 से 169 तक) — संलग्न है।

बिन्दु क.32— प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि0मी0 की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरिडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्त्व का चिन्ह/ मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 170 से 172 तक) — राजस्व वनभूमि हेतु गैरवानिकी उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कॉरिडोर स्थित नहीं है।

बिन्दु क.33— 15 कि0मी0 की परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलो का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)(प्रस्ताव पृष्ठ 173 से 173 तक) — संस्थान रोड़ चौड़ीकरण से संबंधित है अतः 15 कि0मी0 की परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलो का चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क.34— वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूचि एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निर्जन हो तो भी प्रमाणित होगा) (प्रस्ताव पृष्ठ 174 से 176 तक) — संलग्न है।

बिन्दु क.35— राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 177 से 180 तक) — संलग्न है।

बिन्दु क.36— माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 181 से 182 तक) — वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क.37— Clearance under FC Act, 1980: Deposition Of funds with the Ad-hoc CAM-PA (प्रस्ताव पृष्ठ 183 से 184 तक) — वचन पत्र संलग्न है।

बिन्दु क.38— " A detailed note on soil Productivity or Lack of it" (प्रस्ताव पृष्ठ 185 से 186 तक) — संलग्न है।

बिन्दु क.39— परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र(प्रस्ताव पृष्ठ 187 से 188 तक) —संलग्न है।

बिन्दु क.40— Diversion of large Area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980- Stipulation of additional condition (the user agency shall establish and operate a Vocation

Training Institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 188 से 189 तक) - प्रभावित क्षेत्र 500 हे० से कम होने के कारण लागू नहीं है।

बिन्दु क.41- पंजीयन कमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 190 से 193 तक) - संलग्न है।

बिन्दु क.42- वन्यप्राणी परियोजना पर मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में) (प्रस्ताव पृष्ठ 194 से 195 तक) - लागू नहीं।

बिन्दु क.43- विद्युत लाइन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 195 से 195 तक) - आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क.44- प्रस्ताव में अन्य (Misc) का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 196 से 213 तक) - प्रकरण में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमण्डल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कं. 130ए बिलासपुर से उरगा के लिए पंजीयन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

01. उपरोक्त प्रकरण में उपयोगकर्ता अभिकरण के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
02. प्रस्तावित क्षेत्र वन्य प्राणी रहवास क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि से अधिक दूरी पर स्थित है।
03. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मरवाही वन अंतर्गत ग्राम कोड़गार तहसील पेण्ड्रा में वनभूमि उपलब्ध कराई गई है जो कि अतिक्रमण रहित एवं वृक्षारोपण/वन विकास के लिए उपयुक्त है के संबंध में वनमण्डलाधिकारी मरवाही द्वारा सत्यापित किया गया है।
04. वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण किसी को नहीं किया गया है जिसके संबंध में संबंधित संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत संलग्न करने हेतु वचन पत्र दिया गया है।
05. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्लीयरेंस प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
06. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की गणना पत्रक एवं कास्ट बनेफिट एनालिसिस की जानकारी संलग्न है।

पृ.कमांक/तक./ 1180

प्रतिलिपि :- मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को सूचनाथी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर दिनांक 05/08/2020

वनमंडलाधिकारी

बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

PART - II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

Serial No. of proposal FP/CG/ROA D/34338/2018

7.	Location of the project/Scheme - Forest land Diversion of 47.552 Ha for non- forest Purpose for Construction and Widening of 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Urga section from Km. 0+000 to Km. 70+200 section of NH-130A in the State of Chhattisgarh	
(i)	State/Union Territory	CHATTISGARH
(ii)	District.	BILASPUR
(iii)	Forest Division	BILASPUR
(iv)	Area of forest land proposed for diversion (in ha.)	0.771
(v)	Legal status of forest	REVENUE FOREST LAND
(vi)	Density of vegetation.	0.3, eco Class-III
(vii)	Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation / hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL-4 meter also to be enclosed.)	Attached in proposal
(viii)	Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.	Not vulnerable to erosion due to low gradient i.e. 1:200 to 1:500
(ix)	Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.	Contiguous
(x)	Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed).	NO
(xi)	Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area- if so details thereof.	NO
(xii)	Whether any protected archaeological / heritage site / defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.	NO
8.	Whether the requirement of forestland as proposed by the user agency in col. 2 of Part-I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined.	0.771 Hectare is the minimum area of Forest land involved which is unavoidable and barest minimum.
9.	Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials. Whether work in violation is still in progress.	NO
Details of compensatory afforestation scheme:		

Divisional Forest Officer
Bilaspur Dn. Bilaspur (C.G.)

(i)	Details of non forest area/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.	Compensatory afforestation Land – Area – 95.205 ha, Compartment no. - 1449/2191 in Marwahi forest division. CA Scheme attached.
(ii)	Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.	Attached in proposal
(iii)	Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc.	Attached in proposal
(iv)	Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.	Rs. 6,95,08,265/- (Rupees Six Crore Eighty Five Lakh Eight Thousand Two Hundred Sixty Five Only) Estimate attached in proposal
(v)	Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view. (To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests).	Attached in proposal
11.	Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.	Attached in proposal
12.	Division/District profile:	
(i)	Geographical area of the district.	436759.700 Ha.
(ii)	Forest area of the district.	78336.000 Ha.
(iii)	Total forest area diverted since 1980 with number of cases.	723.376 Ha.
(iv)	Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on a. forest land including penal compensatory afforestation b. Non-forest land.	a. 1166.280 Ha. b. 8.391 Ha.
(v)	Progress of compensatory afforestation as on (date) 08.07.2020 on (a) forest land (b) non-forest land.	a. 89.031 Ha. b. 0 Ha.
13.	Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.	The Proposal is acceptable in public interest. Hence recommended for approval.

Date:-

Place:-Bilaspur

Signature

Name

Official Seal

Divisional Forest Officer
Bilaspur Dn. Bilaspur (C.C.)